An International, Registered & Referred Monthly Journal : Political Science
Research Link - 121, Vol - XIII (2), April - 2014, Page No. 102-103
RNI No. MPHIN-2002-7041, ISSN No.- 0973-1628

पंचायती राज एवं महिला सशक्तिकरण : एक अध्ययन

प्रस्तुत शोधपत्र में पंचायती राज एवं महिला सशक्तिकरण का अध्ययन किया गया है। पंचायती राज व्यवस्था अपने आप में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जिसमें महिलाओं को नेतृत्व के अवसर प्रदान कर उन्हें आगे बढ़ाना ऐतिहासिक कदम है। इसमें महिला नेतृत्व के द्वारा एक क्रांतिकारी परिवर्तन का स्वरुप उभरकर सामने आ रहा है, निश्चित ही वह पूर्णरुप से सफल होगा। अब यह महिलाओं पर निर्भर करता है कि सक्रिय सहभागिता के उपलब्ध साधनों का गंभीरता से प्रयोग करें और महिला सशक्तिकरण को सार्थक बनाएं, अपनी कार्यक्षमता कुशलता, योग्यता द्वारा नयी चुनौतीपूर्ण भूमिकाओं को स्वीकार कर अपने ग्राम, समाज, राज्य एवं राष्ट्र के सशक्तिकरण का मार्ग प्रशस्त करें।

डॉ.(श्रीमती) जयश्री त्रिवेदी

पंचायती राज व्यवस्था प्रजातंत्र की प्रथम पाठषाला है और ग्राम लोकतंत्र की सूक्ष्म इकाई है। पंचायती राज के माध्यम से स्थानीय समस्याओं का समाधान क्षेत्रीय स्तर पर आसानी एवं शीघ्रता से सुलभ हो जाता है और ग्राम स्तर पर आत्मनिर्भरता की भावना का विकास होता है, जिससे अशिक्षित मतदाता भी अपने मत का महत्व समझकर वास्तविक स्वतंत्रता का अनुभव करता है। पंचायत संस्थायें प्राचीन काल से ही भारतीय सामाजिक, आर्थिक जीवन का अभिन्न अंग रही है।

''भारत गाँवो का देश है। गाँव यदि नष्ट होंगे, तो भारत नष्ट हो जाएगा।'' महात्मा गाँधी के इन्हीं विचारों को मूर्तरूप देने एवं उनके ग्राम स्वराज्य के सपने को साकार करने के लिये भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई थी। इस पंचायती राज से यह आशा व्यक्त की गई थी कि गाँव का हर व्यक्ति चाहे वह स्त्री हो या पुरूष ग्राम में बैठकर ग्राम विकास की योजना स्वयं बनाये तथा स्वयं क्रियान्वयन करें। इसके लिये देश में त्रिस्तरीय व्यवस्था द्वारा ग्राम पंचायत, पंचायत समिति तथा जिला परिषद की स्थापना हुई तथा उनके मुखिया के रूप में क्रमषः सरपंच, प्रधान तथा प्रमुख का पद चुनाव प्रक्रिया द्वारा तय हुआ तथा सारे अधिकार इन्हें दिए गए।

भारत में पंचायती राज का वर्णन प्राचीन ग्रंथों ऋग्वेद तथा अथर्ववेद में भी मिलता है। प्राचीनकाल से ही पंचायत लोकतंत्र की प्रतीक के रूप में सामाजिक, सामुदायिक तथा आर्थिक विधियों का संचालन करती रही। मजूमदार के अनुसार ''संभवतः जब मानव समुदाय का उदय हुआ होगा, लगभग उसी समय से पंचायत व्यवस्था का उद्भव हुआ होगा। पाँच सदस्यों की सभा अत्यन्त प्राचीन संस्था है, जिसका अस्तित्व अनेक राजनीतिक एवं आर्थिक परिवर्तनों के पश्चात् भी बना रहा।''[1] निःसंदेह इसका मूल आधार इतिहास में निहित रहा है, किंतु विभिन्न कालखण्डों में उनका स्वरूप भी भिन्न–भिन्न रहा। अंग्रेजों के षासन में आने के बाद यह राज्य व्यवस्था के अधीन कर ली गई। स्वतंत्रता के बाद भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों में धारा–40 के अन्तर्गत पंचायती राज से सम्बन्धित प्रावधानों को सम्मलित किया गया, जिसमें स्वतंत्रता और न्याय को महत्व देते हुए जनता की सहभागिता समानता के सिद्धांत के आधार पर प्रत्येक नागरिक के लिए प्रस्तुत की गई। वास्तव में ''पंचायती राज ऐसी संस्था है, जो न केवल जनता के समीप है, बल्कि जिसमें जनता को, विशेषकर महिलाओं और समाज के उपेक्षित वर्गो को सभी स्तरों पर गाँव, खण्ड विकास और जिला स्तर पर पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया है।''[2]

किसी भी देश का समग्र विकास महिलाओं को अनदेखी करके नहीं किया जा सकता, क्योंकि जनसंख्या का आधा हिस्सा महिलाओं का होने के कारण कोई भी समाज तब तक अविकसित एवं शोषित है, जब तक वह उनका सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक विकास नही करता। प्राचीन समय से भारत के सभी क्षेत्रों में विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की अहम् भूमिका रही है। वैदिक काल में ग्राम प्रषासन न्याय व्यवस्था की स्वतंत्र इकाई मानी जाती थी। ऋगवेद में सभा का उल्लेख है, जिसका सम्बन्ध महिलाओं से था। उत्तर वैदिक काल तक सार्वजनिक मामलों में महिलाएँ शरीक होती थी। तैतरीय ब्राम्हण में बारह रत्निन का उल्लेख है, जिसमें तीन महिलाएँ होती थी। इस व्यवस्था में जनजाति तत्व मौजूद थे। प्राचीन छत्तीसगढ़ में पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं की भूमिका का उल्लेख मिलता है।''[3] प्राचीन समय से ही महिलाएँ पुरूषों के साथ घर के अन्दर एवं बाहर समस्त क्रियाकलापों में समान रूप से सम्मलित होती थीं। किंतु विदेशी शासन के परिवेश से गरिमा धूमिल होने लगी थी।

मध्यकाल में स्त्रियों की दशा में महत्तपूर्ण परिवर्तन हुए। ''मुगलो के आक्रमणों के कारण उनकी स्थिति बिगड़गई पर्दा प्रथा,

प्राध्यापक (राजनीति शास्त्र), शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, दतिया (मध्यप्रदेश)

बेमेल विवाह, बाल विवाह, सती प्रथा, विधवा विवाह निषेध की बेड़ियो ने नारी को पशुतुल्य बना दिया।''(4) पुरूषों की स्त्री के प्रति दुर्भावना ने स्त्री को पुरूषों की दासता स्वीकार करने के लिये विवश किया। पुरूष का पौरूष नारी को दबाकर रखने में सफल होता रहा और नारी इसे अपनी नियति मानने को विवश होती रही। तत्कालीन परीस्थितियों मे हमारे समाज सुधारकों ने नारी उद्धार के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया परिणाम स्वरूप नारियों में सामाजिक चेतना विकसित हुई। स्वतंत्रता के पश्चात् भारत में लोकतंत्र की स्थापना एवं आधुनिक सभ्यता के प्रवाह से भारतीय नारियों में जागृति एवं चेतना की अपूर्व षक्ति उत्पन्न हो गई। भारत सदैव ही सैद्धांतिक रूप से महिलाओं को समान अधिकार प्रदान करने का पक्षधर रहा है। डॉ0 अम्बेडकर ने कहा था कि– ''राजनीतिक शक्ति वह मास्टर चाबी है, जिससे हर वर्ग के पिछड़ेपन रूपी चाबी को खोला जा सकता है।''(5)

73 वे संविधान संषोधन अधिनियम में प्रथमतः महिलाओं हेतु पदो के आरक्षण के फलस्वरूप ग्राम पंचायत स्तर पर दस लाख सदस्यो एवं लगभग 80 हजार ग्राम प्रधानों के पदों को महिलाएं बखूबी से संभाल रही है। पंचायत स्तर एवं जिला पंचायत स्तर पर अधिकांष पद उनके पास है। शहरी निकायों में भी महापौर एवं पार्षदों तथा नगर अध्यक्षों, उपाध्यक्षों एवं सदस्यों के पद पर वो आसीन है। ये ही उनके राजनीतिक सबलीकरण का प्रथम सोपान है। इस प्रक्रिया से 33 प्रतिशत महिलाएँ स्थानीय स्तर पर निर्णय प्रक्रिया में भाग लेने हेतु अग्रसर हुई। अतः वर्तमान पंचायती राज व्यवस्था में पुरूष प्रधान निर्णय लेने वाले समाज में निर्णय प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी होने लगी। वे ग्रामीण महिलाएं जो अपने कार्यो की विभिन्न भूमिकाओं में इस प्रकार उलझी हुई थी कि उनकी स्वंय की आस्मिता ही धुंधली होती जा रही थी अब उनमें आत्म विश्वास और अधिकारों के प्रति जागरूकता का विकास होने लगा।''(6) महिलाओं की पंचायत संस्थाओं में भागीदारी से आ रहे परिवर्तन को चिन्हित किया जा सकता है। पंचायत स्तर के जनप्रतिनिधियों ने इसे इंगित करते हए कहा है कि इससे समाज में धीरे–धीरे परिवर्तन आ रहा है इससे महिलाओं की क्षमता में बढ़ोतरी हुई है, उनका घरों में मान बढ़ा है तथा उनके साथ समानता का व्यवहार होने लगा है।''(7) परिणाम स्वरूप ग्रामीण क्षेत्र में लोगों के सोच और व्यवहार में परिवर्तन के स्पष्ट लक्षण दिखाई दे रहे हैं। पंचायतों के माध्यम से यह परिवर्तन शुभ संकेत है। महिलाएँ चाहे वो किसी भी वर्ग या जाति की हो हमेषा वंचित ही रही है। पंचायती राज व्यवस्था से ही यह संभव हो सका कि ग्राम पंचायतों में महिलाओं को पुरूषों के बराबर का दर्जा मिला एवं उन्हें विचार विमर्श का अवसर भी प्राप्त हुआ। उनकी इस भागीदारी से कमजोर वर्ग को सीधा लाभ मिला है। जनप्रतिनिधियों का यह भी कहना है कि इससे कार्य में ईमानदारी आई है। तथा कार्य के प्रति सजगता और कमजोर वर्ग को प्रतिनिधिक संस्थाओं में अधिक महत्व मिलने लगा है। यह बिल्कुल सत्य है कि किसी भी समाज में महिला की स्थिति उस समाज के विकास को इंगित करते है।''(8)

पंचायती राज व्यवस्था में व्यापक स्तर पर महिला सहभागिता से सामाजिक परिवर्तन का मार्ग तो प्रशस्त हुआ है, साथ ही उनमें गुणात्मक चेतना का विकास भी हुआ है, लेकिन यह भी सत्य है कि मानवता की श्रेणी में बैठने वाली नारी समाज व्यर्थ में यह भ्रम बिल्कुल न पाले की उसकी स्वत्व साधना पूर्ण हो गई हैं। इसके लिए उसे निरन्तर अपने हृदय को संवेदनशील एवं संघर्षशील बनाए रखना पड़ेगा तभी वह अपने नारीत्व की रक्षा कर पायेगी।''(9) और तभी वह महिला सशक्तिकरण को यथार्थ रूप दे पायेगी।

आवश्यकता है साक्षरता दर एवं विभिन्न शैक्षिक स्तरों पर उनकी स्थिति को उन्नत करना। इस संदर्भ में सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा के लक्ष्य हेतु चलाये जा रहे ''सर्वशिक्षा अभियान'' जैसे कार्यक्रमों को निष्ठापूर्वक संचालित किया जाये। क्योंकि शिक्षा के माध्यम से ही महिला सशक्तिकरण के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता संभव होगा। इसके अलावा महिला सदस्यों के लिये महिला नीति बनाने, गहन प्रषिक्षण कार्यक्रम आयोजित कराने, बैठको में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिये प्रोत्साहित करना महिला सषक्तिकरण में सहायक हो सकता है।

आज हम यह अनुभव कर सकते है कि पंचायतीराज व्यवस्था में खामोशी से बढ़ते महिला सशक्तिकरण से अनेक अच्छे परिणाम प्राप्त होने एवं आशावादी भविष्य के बढ़ने की सुनहरी संभावनाएँ दिखाई पड़ रही है, जैसे– भ्रष्टाचार की कमी को संभावना, संकीर्ण राजनीति में कमी, राजनीतिक जागरूकता का विकास, सामाजिक समरसता की संभावना, महिलाओं के प्रति व्यवहार में परिवर्तन की संभावना। पुराने लोगों के स्थान पर नए नेतृत्व की संभावना आदि। राष्ट्रीय महिला आयोग, मानव अधिकार आयोग स्वयंसेवी संगठन आज हर ओर से इन संभावनाओं को सार्थक करने एवं नारी को सुदृढ़ करने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं।

इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि पंचायती राज व्यवस्था अपने आप में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जिसमें महिलाओं को नेतृत्व के अवसर प्रदान कर उन्हें आगे बढ़ाना ऐतिहासिक कदम है। इसमें महिला नेतृत्व के द्वारा एक क्रांतिकारी परिवर्तन का स्वरूप उभरकर सामने आ रहा है, निश्चित ही वह पूर्णरूप से सफल होगा। अब यह महिलाओं पर निर्भर है कि सक्रिय सहभागिता के उपलब्ध साधनों का गम्भीरता से प्रयोग करे और महिला सशक्तिकरण को सार्थक बनाये, अपनी, कार्यक्षमता कुशलता, योग्यता द्वारा नयी चुनौतीपूर्ण भूमिकाओं को स्वीकार कर अपने ग्राम, समाज राज्य एवं राष्ट्र के सशक्तिकरण का मार्ग प्रशस्त करें।

संदर्भ :

*(1) मजूमदार वी.वी. प्राक्कलन आफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन्स, पृ.205, पटना 1995. **(2)** योजना, मासिक पत्रिका अगस्त– 2004, पृ. 29, नई दिल्ली। **(3)** ए जर्नल ऑफ एशिया फार डेमोक्रेसी एण्ड डवलवमेंट अगस्त 2008, पृ.71. **(4)** डॉ0 सिंह मनोज : शिक्षा और समाज, पृ.57. **(5)** श्रीवास्तव मुक्ति पंचायत राज और स्वयं सेवी संगठन प्रौढ़शिक्षा, मा.प्रौ.शि., दिसम्बर 2002, पृ.10. **(6)** आलोक कु. यादव : ए जर्नल आफ सोशल फोकस, जुलाई–दिसम्बर 2010, पृ.49. **(7)** मूल प्रश्न पंचायती राज में महिला भागीदारी, अप्रैल–जून– 2006, पृ.17. **(8)** डॉ.मौर्य शैलेन्द्र : महिला राजनैतिक नेतृत्व एवं महिला विकास, पृ.17. **(9)** समाचार पत्र, दैनिक भास्कर संस्करण, ग्वालियर संस्करण, पत्रिका एवं विभिन्न शोध पत्रिकाएँ।*

❁❁